

vkj dh I pdk ds vf/kdkj ds fy,

1. लोक प्राधिकरण का नाम : **Jh fodkl , I - Hky} IAS**
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
- (क) पद नाम : **izkl dj** राजस्थान साहित्य अकादमी
- (ख) पता : राजस्थान साहित्य अकादमी
'ज्ञान नगर', सेक्टर 04, हिरण मगरी
उदयपुर(राज.) 313002
ईमेल - sahytaacademy@yahoo.in
- (ग) दूरभाष : 0294 – 2466371
2. लोक सूचना अधिकारी का नाम : **MWcl r fl g I kydh**
- (क) पद नाम : **I fpo**
- (ख) पता : राजस्थान साहित्य अकादमी,
सेक्टर नं 4, हिरण मगरी उदयपुर (राज.)—313002
ईमेल - sahytaacademy@yahoo.in
- (ग) दूरभाष : 0294—2461717, 9782837024
3. आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ : रु. 10/— (दस रुपये)
4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए : प्रथम घंटे—कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15
मीनिट या उसके भाग के लिए रु. 5/—(पांच रुपये)
5. प्रतिलिपि (ए-4 या ए-3 आकार में): रु. 2/— (दो रुपये) प्रति पृष्ठ
6. प्रतिलिपि (बड़े आकार के पृष्ठ) : वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
7. सैम्पल या मॉडल के लिए : वास्तविक लागत कीमत
8. डिस्क या फ्लोपी के लिए : रु. 50/—(पचास रुपये) प्रति फ्लोपी या डिस्क
9. मुद्रित सूचनाओं के लिए : नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति
पृष्ठ फोटो के लिए रु. 2/— (दो रुपये)

ukV % 'kyd jk'k &udn@cfd M!QV@Hkjr; ikVy vKmj ds: i eadjk;h tk l drh gA

jktLFku I kfgR; vdknehj mn; ij

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत सूचना

क्र.सं.	धारा 4 (1)(ख) के बिन्दु	अनुपालना / विवरण
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	राजस्थान प्रदेश में हिन्दी भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास एवं संवर्धन
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none"> ● अकादमी संविधान के अनुच्छेद संख्या 7 के अनुसार अकादमी के अधिकारी हैं— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव। ● अकादमी संविधान के अनुच्छेद संख्या 8 (ख) के अनुसार अध्यक्ष अकादमी का प्रधान है और अकादमी के समस्त प्राधिकरणों तथा उसकी समस्त समितियों का पदेन अध्यक्ष है। ● अकादमी संविधान के अनुच्छेद संख्या 11 के अनुसार सचिव अकादमी का प्रधान कार्यकारी अधिकारी है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा वह सरस्वती सभा, संचालिका, वित्त समिति और अन्य स्थायी एवं अस्थायी समितियों के पदेन सचिव हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	सरस्वती सभा एवं संचालिका सभा द्वारा संचालन।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	सरस्वती सभा, संचालिका के निर्णयों और लक्ष्यों का क्रियान्वयन।
5	अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर.) और अकादमी संविधान एवं अकादमी नियमावली।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	सरस्वती सभा एवं संचालिका सभा की बैठकों के कार्यवाही विवरण
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके	अकादमी में सूचना अधिकारी की नियुक्ति, नाम, पता

	द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण।	सरस्वती सभा व संचालिका सभा का कार्यवाही विवरण सूचना के अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत अवलोकन हेतु उपलब्ध।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	राजस्थान सेवा नियम।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।	राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	सरस्वती सभा, संचालिका सभा तथा वित्त समिति द्वारा स्वीकृत बजट विवरण के अनुसार।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	—
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां	—
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	अकादमी की वेबसाइट www.rsaudr.org
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदिवस एवं समय।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	डॉ. बसंत सिंह सोलंकी, सचिव, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, दूरभाष : 0294 2461717, 9782837024
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।	हाँ